इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 57] भोपाल, बुधवार, दिनांक 15 फरवरी 2023—माघ 26, शक 1944

परिवहन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 15 फरवरी 2023

सूचना

क्र. 890-949664-2022-आठ.—मध्यप्रदेश मोटरयान नियम, 1994 में संशोधन का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे राज्य सरकार मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 96 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए बनाना प्रस्तावित करती है, उक्त अधिनियम की धारा 212 की उपधारा (1) द्वारा अपेक्षित किए गए अनुसार उन समस्त व्यक्तियों की जिनके कि इससे प्रभावित होने की संभावना है, जानकारी के लिए, एतद्द्वारा, प्रकाशित किया जाता है और एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस सूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 30 दिन का अवसान हो जाने के पश्चात् संशोधन के उक्त प्रारूप पर विचार किया जाएगा.

किसी भी ऐसी आपत्ति और सुझाव पर, जो कि उक्त प्रस्ताव के संबंध में ऊपर विनिर्दिष्ट कालावधि का अवसान होने पर या उसके पूर्व किसी व्यक्ति से, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, परिवहन विभाग, कमरा नंबर A-104, वल्लभ भवन-2, प्रथम तल, मंत्रालय, भोपाल के कार्यालयीन समय में प्राप्त हों, राज्य सरकार द्वारा विचार किया जाएगा.

प्रारूप संशोधन

उक्त नियमों में, नियम 64 में उप नियम (1) में, शब्द ''प्रादेशिक परिवहन अधिकारी'' के स्थान पर शब्द ''सहायक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी'', शब्द ''अतिरिक्त प्रादेशिक परिवहन अधिकारी'' के स्थान पर, शब्द ''सहायक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी'' तथा शब्द ''सहायक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी'' के स्थान पर, शब्द ''परिवहन निरीक्षक'' स्थापित किए जाएं.

NOTICE

No. 890-949664-2022-VIII.—The following draft amendment in the Madhya Pradesh Motor Vehicles Rules, 1994 which the State Government proposes to make in exercise of the powers conferred by Section 96 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), is hereby published as required by sub-section (1) of section 212 of the said Act for the information of all persons likely to be affected there by and the notice is here by given that said draft of amendment will be taken into consideration after the expiry of 30 days from the date of publication of this notice in "Madhya Pradesh Gazette".

Any objection or suggestion which may be received from any person regarding the said draft to the Principal Secretary, Government of Madhya Pradesh,Transport Department, Room No. A-104, Vallabh Bhawan-2 First Floor, Mantralaya, Bhopal during office hours, before the expiry of the above period, shall be considered by the State Government.

DRAFT AMENDMENT

In the said rules, in sub-rule (1) in Rule 64, for the words "Regional Transport Officer", the words "Assistant Regional Transport Officer", for the words "Additional Regional Transport Officer", the words "Assistant Regional Transport Officer" and for the words "Assistant Regional Transport Officer" the words "Transport Inspector" shall be substituted.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
श्वेता पवार, उपसचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2023.